भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3195

13 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्वेदिक उपचार केंद्रों और अस्पतालों को बढ़ावा देना

3195. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश भर में आयुर्वेदिक उपचार केंद्रों और अस्पतालों को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, विशेष रूप से तेलंगाना के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) भारत के प्राचीन और प्रतिष्ठित चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या तेलंगाना में आयुष विभाग द्वारा राज्य में आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रों और अस्पतालों की स्थापना और उन्नयन के लिए धन के आवंटन सहित कोई सहायता दी जा रही है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): आयुष मंत्रालय तेलंगाना सहित देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है और राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के तहत उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके आयुर्वेदिक उपचार केंद्रों और अस्पतालों सहित आयुष चिकित्सा पद्धति के समग्र विकास और संवर्धन के लिए उनके प्रयासों का समर्थन कर रहा है। मिशन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान करता है:-

i. आयुर्वेद सहित मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) का संचालन।
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंदों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुर्वेद सहित आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।
iii. आयुर्वेद सहित मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।
iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास पर) के लिए भवन का निर्माण/उन क्षेत्रों में आयुर्वेद सहित नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण, जहां कोई आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
v. आयुर्वेद सहित 10/30/50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।
vi. आयुर्वेद सहित राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को जरूरी औषधियों की आपूर्ति।
vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।
viii. उन राज्यों में आयुर्वेद सहित नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
ix. आयुर्वेद सहित आयुष स्नातकपूर्व संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

एनएएम के तहत, एसएएपी के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों **को 453428.45 लाख रुपये** की धनराशि जारी की गई है। जारी की

गई अनुदान सहायता की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक** पर दी गई है। इसके अलावा, एसएएपी के माध्यम से तेलंगाना राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, एकीकृत आयुष अस्पतालों की 3 इकाइयों की स्थापना के लिए **503.73 लाख रुपये** की राशि स्वीकृत की गई है और इसी तरह आयुर्वेद सहित अस्पतालों के उन्नयन के लिए **535.784 लाख रुपये** और औषधालयों के उन्नयन के लिए **667.300 लाख रुपये** की सहायता स्वीकृत की गई है।

*****

संलग्नक

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक जारी धनराशि की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	**कुल जारी (लाख रुपये में)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	2629.77
2	आंध्र प्रदेश	7578.05
3	अरुणाचल प्रदेश	5018.04
4	असम	13911.37
5	बिहार	8091.86
6	चंडीगढ़	1759.12
7	छत्तीसगढ़	10741.83
8	दादरा व नागर हवेली और दमन व दीव	892.70
9	दिल्ली	726.31
10	गोवा	2324.91
11	गुजरात	13504.05
12	हरियाणा	14105.67
13	हिमाचल प्रदेश	14997.06
14	जम्मू-कश्मीर	21829.78

15	झारखंड	13647.80
16	कर्नाटक	20452.17
17	केरल	24534.46
18	लक्षद्वीप	1721.78
19	मध्य प्रदेश	33012.60
20	महाराष्ट्र	10675.05
21	मणिपुर	8227.99
22	मिजोरम	4833.38
23	मेघालय	5776.16
24	नागालैंड	7898.27
25	ओडिशा	8710.18
26	पुडुचेरी	2367.08
27	पंजाब	5201.82
28	राजस्थान	26782.82
29	सिक्किम	3897.82
30	तमिलनाडु	21206.83
31	**तेलंगाना**	**9789.23**
32	त्रिपुरा	4915.42
33	उत्तर प्रदेश	90103.74
34	उत्तराखंड	14964.02
35	पश्चिमी बंगाल	16292.30
36	लद्दाख	307.04
	कुल	**453428.45**